रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/ आषाढ़ 20, 1936
No. 175] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASHADHA 20, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2014

संख्या यू-23013/16/2014-एलडब्ल्यू.–ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 **की धारा** 5 **द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतदद्वारा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, एवं मैसर्स एप्पल ट्री बिल्डिंग मेनटिनेंस प्राईवेट लि. नई दिल्ली के स्थापना में ठेका श्रम उन्मूलन प्रणाली के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित करता है।**

इस समिति का संघटन निम्नवत होगा:-

i. **श्री आलोक कुमार, —सदस्य**
कार्यकारी निदेशक, सिविल इंजीनियरिंग, (सामान्य),
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली।

ii. **श्री राज बिहारी शर्मा, —सदस्य**
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), 42,
पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर-1302001

iii. **श्री चीमा, —सदस्य-संयोजक**
उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय),
जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।

2. **प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-**

"दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटिड एवं मैसर्स एप्पल ट्री बिल्डिंग मेनटिनेंस प्राईवेट लि. नई दिल्ली के स्थापना के अग्रभाग के सफाई एवं संबंधित सेवाओं जॉब्स/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करने तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि क्या ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।"

3. **समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति पक्षों की नए सिरे से सुनवाई करेगी, निवेदनों यदि कोई हों, की अनुमति देगी तथा अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।**

जी.के. कालरा, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th July, 2014

No. U-23013/16/2014-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour system in the establishment of Delhi International Airport Ltd., and M/s Apple Tree Building Maintenance Pvt. Ltd., New Delhi.

The composition of the Committee will be as under:-

i. Shri Alok Kumar —Member
Excutive Director, Civil Engineering, (General)
Ministry of Railways, (Railway Board), New Delhi-110001

ii. Shri Raj Behari Sharma., —Member
Bhartiya Mazdoor Sangh, 42, Patel Colony, Sardar Patel Marg,
'C' Scheme, Jaipur-302001

iii. Sh. Cheema, Dy. CLC(C), New Delhi —Member Convenor

2. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

"To study the working of contract labour system in the jobs/works of Façade cleaning services and Associated services in the establishment of Delhi International Airport Ltd., and M/s Apple Tree Building Maintenance Pvt. Ltd., New Delhi and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970".

3. The Headquarter of the Committee will be at Delhi. The Committee shall hear the parties afresh, allow submissions, if any and submit its report within 2 months after resolution/Notification.

G.K. KALRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.